

न्यायालय-ए०के०गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड, (मध्यप्रदेश)

आपराधिक प्रक०क्र०-1312/15

संस्थित दिनांक-21.12.15

राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र-गोहद चौराहा

जिला-भिण्ड (म०प्र०)

.....अभियोगी

विरुद्ध

तुस्सनपाल पुत्र उत्तमसिंह तोमर उम्र 36 साल

निवासी ग्राम छरेंटा थाना एण्डोरी जिला भिण्ड

.....अभियुक्त

-:: निर्णय ::-

{आज दिनांक 02.05.2018 को घोषित}

अभियुक्त पर भारतीय दंड संहिता 1860 (जिसे अत्र पश्चात "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 279 के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 05.11.15 को करीब 7 बजे शाम भिण्ड ग्वालियर हाईवे रोड ग्राम छीमका के सामने एण्डोरी मोड सार्वजनिक स्थान पर वाहन टेक्टर क्रमांक सी०जी०-०७ डी-०४८८ को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया।

2. प्रकरण में यह तथ्य उल्लेखनीय है कि फरियादी/आहत द्वारा अभियुक्त से राजीनामा कर लिए जाने के आधार पर विकल्प में भादवि० की धारा 337 टू काउण्ट का उपशमन किया गया। इस निर्णय द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध संहिता की धारा 279 के आरोप में निष्कर्ष दिया जा रहा है।

3. अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार से है कि दिनांक दिनांक 05.11.15 को फरियादी हरिओम अपने नाती सोनपाल के साथ मोटरसाईकिल क्र० एम०पी०-३० एम०ई०-२३०० डिस्कवर से ग्वालियर से अपने गांव नुन्हाड जा रहा था। शाम सात बजे जैसे ही वे छीमका गांव के सामने एण्डोरी मोड पर आए तो गोहद चौराहा तरफ से अज्ञात टेक्टर का चालक अपने टेक्टर को तेजी व लापरवाही से चलाकर लाया और फरियादी की मोटरसाईकिल में टक्कर मार दी जिससे फरियादी के दाहिने पैर के पंजा, दाहिने बखा, दाहिने कान, बाएं पैर की पिड़ली तथा नाती को दाहिने कमर, पेट में मुदी चोट, दाहिने हाथ की कलाई में तथा बाएं बखा में चोटें आई। मोटरसाईकिल सोनपाल चला रहा था। मोटरसाईकिल सामने साईड में टूट गयी। उक्त आशय की रिपोर्ट से अप०क्र० 255/15 पंजीबद्ध किया गया। दौरान अनुसंधान आहतगण का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया, नक्शामौका बनाया गया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए, वाहन जब्त कर जब्ती पत्रक, अभियुक्त को

गिरफ्तार कर गिर0 पत्रक बनाया गया, मैकेनिकल जांच कराई गयी बाद अनुसंधान अभियोग पत्र पेश किया गया।

4. अभियुक्त को पद क्र० 1 में वर्णित आशय के आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उनके द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। दफ्तर की धारा 313 के अधीन परीक्षण कराए जाने पर अभियुक्त ने निर्दोष होना तथा झूठा फंसाया जाना बताया।

5. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं –

1-क्या अभियुक्त ने दिनांक 05.11.15 को करीब 7 बजे शाम भिण्ड ग्वालियर हाईवे रोड ग्राम छीमका के सामने एण्डोरी मोड सार्वजनिक स्थान पर वाहन टेक्टर क्रमांक सी0जी0-07 डी-0488 को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?

--:: सकारण निष्कर्ष ::--

6. अभियोजन की ओर से प्रकरण में हरिओम अ0सा0 1, सोनपाल अ0सा0 2, किशनलाल अ0सा0 3, रामकरण शर्मा अ0सा0 4, संजीवसिंह तोमर अ0सा0 5, सतेन्द्रसिंह अ0सा0 6 को परीक्षित कराया गया है जबकि अभियुक्त की ओर से कोई बचाव साक्ष्य नहीं दी गई है।

7. फरियादी हरिओम अ0सा0 1 अपने अभिसाक्ष्य में घटना एक साल पहले शाम के 7:30-8 बजे की होना बताते हुए कथन करते हैं कि वे और सोनपाल मोटरसाईकिल से ग्राम नुन्हाड जा रहे थे। छीमका गांव के सामने, सामने से एक अज्ञात टेक्टर ने टक्कर मार दी जिससे उनकी मोटरसाईकिल गिर गयी और उन्हें चोटें आई तथा वे बेहोश हो गए, किसी ने अस्पताल में पहुंचाया तब अस्पताल में होश आया था। साक्षी कथित दुर्घटना में लिफ्ट टेक्टर का नंबर और कंपनी बताने में अस्मर्थ है। साथ ही न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त को देखकर कथन करते हैं कि यह व्यक्ति टेक्टर नहीं चला रहा था। अपने अभिसाक्ष्य में अभिकथित टेक्टर के उपेक्षा व उतावलेपन से चलने के संबंध में कोई भी कथन नहीं किया गया है। ऐसे में अभियोजन पक्ष द्वारा उन्हें पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे गए जिसमें साक्षी ने अभियोजन के सुझाव से इंकार किया कि अभियुक्त ने महिन्द्रा टेक्टर को तेजी व लापरवाही से चलाकर टक्कर मार दी थी। साक्षी पुलिस कथन प्र०पी० 3 में विनिर्दिष्ट ए से ए भाग का तथ्य बताए जाने से इंकार करता है। इस प्रकार से फरियादी द्वारा अभियुक्त की घटना में संलिप्तता और कथित टेक्टर के उपेक्षा व उतावलेपन से सार्वजनिक मार्ग पर चलाने के तथ्य का खण्डन किया है।

8. अन्य आहत सोनपालसिंह अ0सा0 2 भी यही कथन करते हैं कि 7:30-8 बजे वे और हरिओम मोटरसाईकिल से जा रहे थे तब एक अज्ञात टेक्टर ने उनकी मोटरसाईकिल में टक्कर मार दी। टक्कर लगने से यह साक्षी बेहोश हो जाने और अस्पताल में होश आने का कथन करते हैं।

हरिओम अ०सा० 1 के समान ही अभियुक्त द्वारा उक्त टेक्टर को उपेक्षा व उतावलेपन से चलाए जाने के तथ्य से इंकार करते हैं। यह साक्षी भी पक्षविरोधी हो गया और पुलिस को पूर्वतन कथन प्र०पी० 4 के विनिर्दिष्ट भाग को दिए जाने से इंकार किया है। प्रकरण में सारवान साक्षी आहतगण द्वारा कथित वाहन टेक्टर के अभियुक्त द्वारा चलाए जाने और उपेक्षा और उतावलेपन के तथ्य से इंकार किया है। चक्षुदर्शी साक्षी के रूप में प्रस्तुत संजीव सिंह तोमर अ०सा० 5 अपने अभिसाक्ष्य में मात्र छीमका-एण्डोरी मोड पर दिन के 10-12 बजे एक बाईक पर सवार लोगों को टेक्टर से टक्कर हो जाने का कथन करते हैं। सर्वप्रथम तो साक्षी घटना के समय में महत्वपूर्ण विरोधाभास करता है, साथ ही फरियादी व आहत को जानता भी नहीं है। साक्षी पक्षविरोधी घोषितकर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर पुलिस कथन प्र०पी० 9 के विनिर्दिष्ट ए से ए भाग को दिए जाने से इंकार करते हैं। इस प्रकार से अभियोजन का मामला संदिग्ध हो जाता है।

9. प्रकरण में अनुसंधानकर्ता किशनलाल अ०सा० 3 अपने अभिसाक्ष्य में दिनांक 06.11.15 को अभियुक्त के आधिपत्य से टेक्टर प्र०पी० 7 के जब्ती पत्रक के अनुसार गोहद चौराहा से जब्त किए जाने का कथन करते हैं। उसी दिनांक को प्र०पी० 8ए के अनुसार सतेन्द्रसिंह से वाहन के चालक के संबंध में प्रमाणीकरण लिए जाने का कथन करते हैं। कथित टेक्टर दुर्घटनास्थल से जब्त नहीं हुआ है। साथ ही प्रमाणीकरण प्र०पी० 8ए के संबंध में सतेन्द्रसिंह अ०सा० 6 अपने अभिसाक्ष्य में इंकार करते हैं और पुलिस द्वारा टेक्टर को छुड़ाए जाने के समय कुछ कागजों पर हस्ताक्षर कराए जाने का कथन करते हैं। इस प्रकार से प्र०पी० 8ए का दस्तावेज सर्वप्रथम तो साक्षी सतेन्द्रसिंह के घटनास्थल पर उपस्थित न होने के कारण सारवान साक्ष्य की श्रेणी में नहीं आता है। साथ ही प्र०पी० 8ए के दस्तावेज संपोषकता की श्रेणी में आता है, जो कि सारवान आहतगण की साक्ष्य न होने के कारण कोई महत्व नहीं रखता है।

10. दण्डिक विधि के अधीन अभियोजन को अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करना होता है अर्थात् यदि एक सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति के मन में अभियुक्त के दोषी होने के संबंध में संदेह उत्पन्न हो जाए तो वह अपराध अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं कहलाता है। उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में अभियोजन अपना मामला अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 05.11.15 को करीब 7 बजे शाम भिण्ड ग्वालियर हाईवे रोड ग्राम छीमका के सामने एण्डोरी मोड सार्वजनिक स्थान पर वाहन टेक्टर क्रमांक सी०जी०-07 डी-0488 को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया। अतः अभियुक्त को संहिता की धारा 279 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

11. अभियुक्त की जमानत भारहीन की गयी, उसके निवेदन पर मुचलका निर्णय दिनांक से 6 माह तक प्रभावशील रहेगा।

12. प्रकरण में जब्तशुदा वाहन क्रमांक सी0जी0-07 डी-0488 पूर्व से वाहन स्वामी की सुपुर्दगी में हैं, अतः अपील अवधि पश्चात् सुपुर्दगीनामा उसके पक्ष में निरस्त समझा जावे। अपील होने पर मान0 अपील न्यायालय के आदेश का पालन हो।

13. अभियुक्त की अभिरक्षा अवधि, यदि कोई हो, तो उसके संबंध में धारा 428 का प्रमाणपत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर, मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित

कर घोषित किया गया।

ए0के0 गुप्ता
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

ए0के0 गुप्ता
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश